तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.79/2024**	नम्बर व ... अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
06.9.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हेमाराम घांची पुत्र सोमाराम घांची, जाति– घांची, निवासी– घांचीयों के धर्मशाला गली, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, सदर बाजार, पालडी एम., तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही अनुपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2021 को फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, सदर बाजार, पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही में प्रतिवादी हेमाराम घांची पुत्र सोमाराम घांची से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (Sangath) का नमूना संख्या S-1551 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./889/Act/2021/997 दिनांक 24.12.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी हेमाराम घांची उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2021 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, सदर बाजार, पालडी एम., तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी हेमाराम घांची पुत्र सोमाराम घांची उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (Sangath) बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी विक्रेता हेमाराम घांची को गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के 11 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से घी (Sangath) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

ता. ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 79/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	करके उसकी कीमत राशि रुपये 800/- (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी हेमाराम घांची को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1551, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (Sangath) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के चारों पैक्ड कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1551 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 04.11.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, सदर बाजार, पालडी एम., तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हेमाराम घांची से खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के 500-500 एम.एल. के पैक्ड कंटेनरों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के नमूना संख्या S-1551 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./889/Act/2021/997 दिनांक 24.12.2021 में खाद्य पदार्थ घी (Sangath) का नमूना अमानक (substandard) पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी हेमाराम घांची पुत्र सोमाराम घांची ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के .....लगातार	

न्यायालय प्रति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 79/2024**	नम्बर व रख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी हेमाराम घांची ने अमानक (substandard) खाद्य पदार्थ घी (Sangath) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। आदेश अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी, स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा– 51 के तहत अमानक (substandard) खाद्य पदार्थ घी (Sangath) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हेमाराम घांची पुत्र सोमाराम घांची, जाति– घांची, निवासी– घांचीयों के धर्मशाला गली, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, सदर बाजार, पालडी एम., तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हेमाराम घांची को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 15.10.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested